तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकान जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 207/2009 कैलाशचंद बनाम रवी ककड़ अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट	
02.07.2018	हमने उभय पक्ष की बहस सूनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2008 को पेश किया जो दिनांक 14.10.2008 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए मौके पर अप्रार्थीगण व उनके पिता का संवत 1999 से यानी सेटलमेंट के पहले से कबजा कास्त चला आ रहा है तथा राजस्व कैम्प 1983–84 में मौके पर आपस में खातेदारों के मध्य बंटवाडा कर दिया गया तथा मौके पर अप्रार्थीगण काबीज कास्त था। वाद ग्रस्त भूमि का समस्त राजस्व रेकड अप्रार्थीगण के नाम है। सुविधा का सन्तुलन आप्रार्थीगण के पक्ष में है। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड आदि का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह महत्वपूर्ण है कि दिनांक 14.10.2008 से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है जिससे मौके पर कोई विषम परिरिथति उत्पन्न हुई हो। इन तमाम तथ्यों की रोशनी में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर टी एक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मूण्डवा (जोधपुर) राज.	

Scanned by CamScanner